

भारत द्वारा मतिर देशों को हथियारों की बिक्री में तेज़ी लाने के लिये प्रक्रिया में ढील

चर्चा में क्यों?

भारत ने बांग्लादेश, वयितनाम, श्रीलंका, अफगानस्तान, म्यांमार और अन्य मतिर देशों को सैन्य उपकरणों की बिक्री में तेज़ी लाने के लिये एक नई प्रणाली को अंतिम रूप दिया है जो कि अमेरिका की फॉरेन मलिटिरी सेल्स (Foreign Military Sales-FMS) कार्यक्रम के समान है।

प्रमुख बिंदु

वदिश मंत्रालय के अनुसार, नई मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) जिसे वदिश मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है, मतिर देशों के लिये वसितारति रक्षा LoCs (Lines of Credits) के उपयोग की गति को बढ़ाएगी।

- यह न केवल भारत को हथियारों के नरियात को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जो अब तक लगभग नगण्य है, बल्कि हथियार आपूर्तिके मामले में चीन जैसे तीसरे पक्ष द्वारा बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में आपूर्तिके रोकने की कोशिश को भी नाकाम करेगी।
- नई SOP के तहत भारतीय रक्षा कंपनियों अब उन उत्पादों की कीमतों के संदर्भ में "सीधे बोली" लगा सकेंगी। इससे पहले यह प्रक्रिया काफी बाधति होती थी।
- नए SOP का उद्देश्य वारता और मूल्य खोज प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना है। भारत, नश्चिति रूप से हथियारों के नरियात के मामले में चीन से बराबरी की उम्मीद नहीं कर सकता।

वैश्विक परिदृश्य

- अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी के बाद चीन दुनिया का पाँचवा सबसे बड़ा हथियार नरियातक के रूप में उभरा है। चीन ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी पर अपना ध्यान केंद्रति कर इस स्थान को प्राप्त किया है।
- चीन के सबसे बड़े हथियार ग्राहक पाकस्तान, बांग्लादेश और अल्जीरिया हैं ढाका को भी चीन हथियारों की आपूर्तिकरता है।
- भारत ने अपने अधिकांश हथियार अमेरिका से उसके FMS कार्यक्रम के माध्यम से खरीदे हैं, उदाहरण के लिये सी -17 ग्लोबमास्टर- III स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स, सी -130 जे "सुपर हरक्यूलस" वमिन और एम -777 अल्ट्रालाइट हॉवतिजर।
- भारत जटलि वैश्विक नविदि प्रक्रिया की तुलना में FMS मार्ग को बहुत अधिक बेहतर मानता है क्योंकि पूर्व प्रणाली के तहत नविदि प्रक्रिया पूरी होने में कई साल लगते थे और भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहती थी।

FMS प्रोग्राम

- फॉरेन मलिटिरी सेल्स (Foreign Military Sales-FMS) कार्यक्रम शस्त्र नरियात नर्यितरण अधिनियम (Arms Export Control Act-AECA) द्वारा अधिकृत सुरक्षा सहायता का एक रूप है और अमेरिकी वदिश नीतिका एक बुनयिदी हस्सा है।
- AECA की धारा 3 के तहत जब अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि अमेरिका की सुरक्षा और वशिव शांति आवश्यक है तब अमेरिका अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को रक्षा उपकरणों और सेवाओं को बेच सकता है।
- FMS के तहत अमेरिकी सरकार और कसी अन्य देश की सरकार के बीच एक समझौता किया जाता है जिसे लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस (Letter of Offer and Acceptance-LOA) कहा जाता है।

नषिकर्ष

भारत के पास अभी भी एक मजबूत रक्षा उत्पादन क्षेत्त्र नहीं है। भारत के पास कुछ हथियार प्रणालियाँ हैं जैसे- रूस के सहयोग से नरिमति ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तथा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली आकाश, हल्के लड़ाकू वमिन तेज़स और उन्नत हेलीकॉप्टर ध्रुव आदि हैं, जनिहें अन्य देशों में सफलतापूर्वक नरियात किया जा सकता है।

